



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 2019/ज्येष्ठ 22, 1941

No. 350]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 2019/JYAISTHA 22, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

सा.का.नि. 417(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 का अनुमोदन करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त विनियम इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38), की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में एतद्वारा और संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

1. (1) इन विनियमों को कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में, अनुसूची में:-

(i) “मराइन विभाग” शीर्षक के अंतर्गत, -

(क) कॉलम 8 में समुद्री इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी I – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- I प्रमाणपत्र”;

(ख) कॉलम 8 में उप समुद्री इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं. 5 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी II – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- II प्रमाणपत्र”;

(ग) कॉलम 8 में वरिष्ठ उप समुद्री इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं. 6 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी II – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- II प्रमाणपत्र”;

(घ) कॉलम 8 में वरिष्ठ समुद्री इंजीनियर/मुख्य इंजीनियर समुद्री जहाज के पद से संबंधित क्रम सं. 7 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी I – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- I प्रमाणपत्र”;

(ङ.) कॉलम 8 में समुद्री इंजीनियरिंग अधीक्षक के पद से संबंधित क्रम सं. 8 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी I – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- I प्रमाणपत्र”;

(च) कॉलम 8 में मुख्य इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं. 16 के सामने मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“(i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अंतर्गत जारी किया गया एमओटी I – क्लास मोटर प्रमाणपत्र या समुद्री अभियंता अधिकारी श्रेणी- I प्रमाणपत्र”;

(ii) “यांत्रिकी एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग – एम. & ई” शीर्षक के अंतर्गत, क्रम सं. 3 के सामने अधीक्षक इंजीनियर (यांत्रिकी/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार) के पद के संबंध में-

(क) कॉलम 12 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

“**पदोन्नति:** यांत्रिकी एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में 10750-16750 रुपये के वेतनमान में ग्रेड में चार वर्षों की नियमित सेवा के साथ संबंधित क्षेत्र में कार्यपालक इंजीनियर जिनके न होने पर यांत्रिकी एवं विद्युत इंजीनियरिंग विभाग में संबंधित क्षेत्र में 10750-16750 रुपये के वेतनमान में दो वर्षों की नियमित सेवा कार्यपालक इंजीनियर तथा 10750-16750 रुपये और 9100-15100 रुपये के वेतनमान में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा अपेक्षित है।

अवशोषण/प्रतिनियुक्ति: महापत्तन न्यास में ग्रेड में चार वर्षों की नियमित सेवा के साथ संबंधित विषय या फीडर पद पर समरूप पद धारण करने वाले अधिकारी”;

(ख) कॉलम 13 में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

(i) मैकेनिकल – चार पद

(ii) इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन – एक पद

[मि.सं. पी.आर.-12012/19/2017-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 862(अ) दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 849 (अ), दि. 25 अक्टूबर 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 604 (अ), दि. 31 जुलाई 2015
- (iii) सा.का.नि. सं. 644 (अ), दि. 30 जून 2016
- (iv) सा.का.नि. सं. 649 (अ), दि. 01 जुलाई 2016
- (v) सा.का.नि. सं. 1126 (अ), दि. 09 दिसम्बर 2016
- (vi) सा.का.नि. सं. 1151 (अ), दि. 16 दिसम्बर 2016
- (vii) सा.का.नि. सं. 211 (अ), दि. 09 मार्च 2017
- (viii) सा.का.नि. सं. 306 (अ), दि. 30 मार्च 2017
- (ix) सा.का.नि. सं. 1435 (अ), दि. 20 नवम्बर 2017
- (x) सा.का.नि. सं. 835 (अ), दि. 05 सितम्बर 2018
- (xi) सा.का.नि. सं. 235 (अ), दि. 25 मार्च 2019

MINISTRY OF SHIPPING**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2019

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees for the Cochin Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Cochin Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Official Gazette.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, in the schedule,-

(i) under the heading “MARINE DEPT”,-

(a). against serial number 4, relating to the post of Marine Engineer, in column 8, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

“(i) MOT I Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class I Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)”;

(b). against serial number 5, relating to the post of Dy. Marine Engineer, in column 8, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

“(i) MOT II Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class II Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)”;

(c). against serial number 6, relating to the post of Sr. Deputy Marine Engineer, in column 8, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

“(i) MOT II Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class II Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)”;

(d). against serial number 7, relating to the post of Sr. Marine Engineer/Chief Engineer Marine Vessel, in column 8, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

“(i) MOT I Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class I Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)”;

(e). against serial number 8, relating to the post of Marine Engineering Superintendent, in column 8, for item (i), the following item shall be substituted, namely:-

“(i) MOT I Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class I Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)”;

(f) against serial number 16, relating to the post of Chief Engineer, in column 8, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“MOT I Class Motor Certificate or Marine Engineer Officer Class I Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).”

(ii) under the heading “MECHANICAL ENGG DEPT”, against serial number 3, relating to the post of Superintending Engineer (Mechanical/Electrical/Electronics & Communication):-

(a) in column 12, for the entries, the following entries shall be substituted namely:-

“Promotion from Executive Engineer in the respective discipline in the Mechanical Engineering Department in the scale of pay of Rs. 10750-16750 with four years regular service in the grade, failing which Executive Engineer in the respective discipline in the Mechanical Engineering Department in the scale of pay of Rs.10750-16750 with two years regular service in the grade and a combined regular service of nine years in the scale of pay of Rs.10750-16750 and 9100-15100.

Absorption/deputation: Officers holding analogous post in the respective discipline or feeder post with four years regular service in the grade in a Major Port Trust.”;

(b) in column 13, for the entries, the following entries shall be substituted namely:-

i) Mechanical – Four posts

ii) Electrical/Electronics & Communication – one post

[F. No. PR-12012/19/2017-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote : The Principal regulations were published in the Gazette of India *vide* GSR No.862 (E), dated 28th October, 2010 and was subsequently amended *vide* number -

- (i) GSR No. 849 (E), dated the 25th October, 2014
- (ii) GSR No. 604 (E), dated the 31st July, 2015
- (iii) GSR No. 644 (E), dated the 30th June, 2016
- (iv) GSR No. 649 (E), dated the 1st July, 2016
- (v) GSR No. 1126 (E), dated the 09th December, 2016
- (vi) GSR No. 1151 (E), dated the 16th December, 2016
- (vii) GSR No. 211 (E), dated the 09th March, 2017
- (viii) GSR No. 306 (E), dated the 30th March, 2017
- (ix) GSR No. 1435 (E), dated the 20th November, 2017
- (x) GSR No. 835 (E), dated 05th September, 2018 &
- (xi) GSR No. 235 (E), dated 25th March 2019.